कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन
पॉंचवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 35 /आउशि/शा–7/अनु0/08–09/आयोजनेत्तर भोपाल, दिनांक 17/6/2008

प्रति,

संबंधित प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
शासकीय............................ महाविद्यालय (अग्रणी),
.... मध्यप्रदेश

विषयः– अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को ब्लाक ग्रांट वर्ष 2008–09 के लिये आवंटन देने बावत् ।

............000...........

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में अप्रैल, 08 से जून, 08 तक वेतन भत्तों एवं डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर./बी.एड. शिक्षकों को यू0जी0सी0 वेतनमान एरियर्स के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर मद में संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालयों को राशि **रूपये 31583587/–(रूतीन करोड़ पन्द्रह लाख तेरासी हजार पॉंच सौ सतासी मात्र)** का आवंटन प्रदान किया जाता है । इस आवंटित राशि एवं दिनांक 31.7.2008 को संस्थागत निधि में उपलब्ध अनुदान की शेष राशि को मिलाकर देय वेतन आदि तथा पूर्व के बकाया डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर./बी.एड. शिक्षकों को यू0जी0सी0 वेतनमान एरियर्स का नियमानुसार परीक्षण कर भुगमान करें । आयोजना मद का विलय आयोजनेत्तर मद में कर दिया गया है । शासन द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार ही आयोजना मद के पदों का व्यय आयोजनेत्तर मद से पूर्वानुसार ही किया जाए ।

2. **आवंटित /स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या–44–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा (03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (104) गैर सरकारी कालेज और संस्थाएं (3444) महाविद्यालयों को पोषण अनुदान 42/007 आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2008–09 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।**

3. **<u>उक्त आवंटन निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:–</u>**

(1) संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालय के समक्ष जारी आवंटन/स्वीकृत की राशि का विमोचन तभी किया जाए जबकि संस्था द्वारा पूर्व में जारी किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आपके द्वारा प्राप्त किया गया हो । आपके द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को अग्रेषित करें । इस आवंटित राशि से भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि भुगतान की गई राशि की संबंधित को पात्रता है और भुगतान न करने पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है एवं अवमानना नहीं हो रही है ।

(2) आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु स्वीकृत एवं मान्य पदों पर शासन द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को अनुमोदित मदों में 50 प्रतिशत राशि का ही आहरण कर

ही भुगतान किया जाये । गैर अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को यदि भुगतान हुआ तो उसकी वसूली संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षाधिकारियों से की जायेगी ।

(3) स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 से वर्ष 2007–08 तक का आडिट होना सुनिश्चित करें एवं पूर्व वर्षो सहित आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित किया जाये तथा मांग पत्र में इसका स्पष्ट प्रमाण पत्र अंकित करें कि आडिट संबंधी कोई कंडिका लंबित नहीं है ।

(4) महाविद्यालयो द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही फीस की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा होना सुनिश्चित किया जाये ।

(5) उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार /वित्त विभाग /स्थनीय निधि संपरीक्षा /उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जॉच हेतु खुले रहेंगें ।

(6) वर्ष 1996 के पूर्व के डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर. की राशि का भुगतान उन्ही वादियों /कार्मिकों को किया जाये जिनकी राशि एवं स्वीकृति शासन/आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा प्रदान कर दी गई है ।

(7) वर्ष 1996 के बाद तदर्थ महंगाई भत्ते की राशि के भुगतान के पूर्व परीक्षण कर ले कि की दोहरा भुगतान तो नहीं हो रहा है । परीक्षण कर के ही पात्रता होने पर भुगतान करें ।

(8) संलग्न प्रपत्र में दिनांक 31.3.08 को संस्थागत निधि में अनुदान की शेष राशि और पूर्व में तथा इस आदेश द्वारा जारी आवंटित राशि को मिलकर भुगतान करें । संस्थागत निधि में अनुदान की राशि शेष रहने तक अनुदान की मांग नहीं करें ।

(9) ग्वालियर जिले के तीन महाविद्यालय गृह भाडा भत्ता एवं सी.पी.एफ. मद में प्रतिशत अनुदान राशि के स्थान पर 100 प्रतिशत राशि अनुदान मद से आहरित कर भुगतान प्राप्त कर रहे थे ऐसे महाविद्यालयों के विरूद्ध वसूली एवं अन्य कार्यवाही की जा रही है यदि आपके अधीनस्थ ऐसा कोई महाविद्यालय ऐसा नियम विरूद्ध भुगतान प्राप्त कर रहा हो तो तुरन्त ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्यों/प्रभारी प्राचार्यों एवं लेखापाल/मुख्यलिपिक कम लेखापाल के वेतन पर तुरन्त रोक लगाकर उनका भुगतान न करें तथा इसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को दें । ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भुगतान प्राप्त करने वालों पर कार्यवाही की जा सके । आपके द्वारा ऐसी जानकारी न भेजने के बाद यदि कोई ऐसा प्रकरण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जबावदारी आपकी होगी क्योंकि आप आहरण संवितरण अधिकारी है । महाविद्यालय में कार्यतर अधिकारी/कर्मचारी को किसी प्रकरण में रोके गये वेतन/माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अथवा अन्य कोई प्रकरण में लंबित स्वत्वों के भुगतान हेतु शासन द्वारा आदेश जारी किये गये है , तो प्रथमतः उनको भुगतान करें । आदेशों की अवहेलना करने पर शासन द्वारा मिलने वाली अनुदान राशि की आगामी किस्त जारी करना संभव नहीं होगा । मांग पत्र में इस

बात का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का भुगतान लंबित नहीं है ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा स्वीकृत)

(बी.एम.बुधोलिया)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, म0प्र0शासन
17/6

पृ0क्रमांक 36 /आउशि/शा–7/अनु0/08–09/आयोजनेत्तर भोपाल, दिनांक 17/6/2008

प्रतिलिपिः–

1– कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी..मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया संलग्न आवंटन/स्वीकृति से अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के देयको का भुगतान सुनिश्चित करें कि इन देयकों का भुगतान यथा समय हो जाये क्योंकि यह देयक वेतन भत्तों के है और आहरण पर लगे प्रतिबंध से यह देयक मुक्त रहते है । ऐसा करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही हो जायेगी जो शासन के हित में होगा ।

2– संबंधित प्राचार्य,..महाविद्यालय,....................म0प्र0 की ओर भेज कर सूचित किया जाता है कि उक्त राशि का आवंटन अनुदान प्राप्त अशासकीय महविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को माह अप्रैल,08 से जून,08 (तीन माह) तक के वेतन भत्तों एवं एरियर्स के नियमानुकूल भुगतान करना है ।

3– क्षैत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा...........................म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, म0प्र0शासन
17/6